



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

CENTRAL TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय: रांची

REGIONAL OFFICE: RANCHI

क्षे.का./जीएडी/2026-27/75

दिनांक-21/09/2026

अनुलग्नक 6

(यह एक प्रारूप है। क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार, निविदा जारी करने के लिए निर्धारित परिसर संबंधी नीति एवं जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवश्यक परिवर्तन कर सकता है।)

दीर्घकालीन पट्टे के आधार पर परिसर प्राप्त करने हेतु निविदा दस्तावेज़ का प्रारूप

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची, जुगसलाई, जमशेदपुर शाखा / कार्यालय के लिए दीर्घकालीन पट्टे के आधार पर उपयुक्त परिसर प्राप्त करने हेतु इच्छुक परिसर स्वामियों / पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों से मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित करता है। प्रस्तावित परिसर का कारपेट क्षेत्रफल 1,000 से 1,500 वर्ग फुट होना चाहिए। परिसर जुगसलाई, जमशेदपुर शाखा / कार्यालय के लिए उपयुक्त होना चाहिए तथा संबंधित क्षेत्र एवं उसके आसपास के इच्छुक स्वामियों / पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों से निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। परिसर को प्राथमिकता के आधार पर भूतल पर स्थित होना चाहिए, जिसमें उचित अग्र प्रवेश द्वार (फ्रंट एंट्री) तथा सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हों, जिनमें 15 KVA, 3-फेज विद्युत कनेक्शन एवं पार्किंग की सुविधा शामिल है।

तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली के प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.bank.in तथा भारत सरकार की वेबसाइट <https://govtenders.nic.in> से डाउनलोड किए जा सकते हैं। उक्त प्रारूप क्षेत्रीय कार्यालय में भी उपलब्ध हैं तथा इन्हें कार्यालय समय के दौरान प्राप्त किया जा सकता है।

पूर्व-योग्यता के लिए न्यूनतम मानदंड निम्नलिखित होंगे:

- क. आवेदक परिसर का वास्तविक / वैध स्वामी अथवा परिसर के स्वामी द्वारा अधिकृत पावर ऑफ अटॉर्नी धारक होना चाहिए।
- ख. आवेदक आयकरदाता होना चाहिए, जिसके पास पेन नंबर हो तथा उसके आयकर रिटर्न अद्यतन होने चाहिए।
- ग. भवन का निर्माण सक्षम विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित मानचित्र के अनुसार किया गया होना चाहिए। भवन अच्छी तरह से अनुरक्षित होना चाहिए तथा उसकी आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- घ. परिसर अच्छे आवासीय / व्यावसायिक क्षेत्र में भूतल / प्रथम तल पर स्थित होना चाहिए, जहाँ उचित पहुँच एवं समर्पित पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध हो।
- ङ. भवन आग, जलभराव, बाढ़ आदि विशेष जोखिमों से मुक्त होना चाहिए। परिसर में चौबीसों घंटे पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य जल उपलब्ध होना चाहिए तथा स्थानीय नगर निकायों से संबंधित आवश्यक अनुमोदन / स्वीकृतियाँ प्राप्त होनी चाहिए।
- च. मकान मालिक द्वारा नगरपालिका, नगर निगम तथा राजस्व प्राधिकरणों से संबंधित सभी बकाया राशि एवं अन्य वैधानिक दायित्वों का भुगतान / निपटारा किया गया होना चाहिए।
- छ. स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी अधिभोग प्रमाणपत्र परिसर को पट्टे पर देने हेतु उपलब्ध होना चाहिए (अपार्टमेंट के मामले में)।
- i. मकान मालिक बैंक द्वारा अपेक्षित आवश्यक परिवर्तन / संशोधन कार्य पूरा किए जाने के तुरंत बाद परिसर का रिक्त कब्जा देने की स्थिति में होना चाहिए।
1. निविदा जमा करने की विधि: निविदाएँ केवल मुहरबंद लिफाफों में ही जमा की जानी चाहिए।



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

CENTRAL TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय: राँची

REGIONAL OFFICE: RANCHI

निविदा के लिफाफे तीन भागों में होंगे:

- पहला लिफाफा – तकनीकी बोली का लिफाफा : इस लिफाफे में आवेदन पत्र का भाग-I सभी आवश्यक संलग्नकों के साथ विधिवत भरा हुआ एवं बोलीदाता / बोलीदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इस लिफाफे को बंद करके सील किया जाना चाहिए तथा इसके ऊपर “तकनीकी बोली (अनुलग्नक A के अनुसार) – जुगसलाई, जमशेदपुर शाखा / कार्यालय परिसर लिखा होना चाहिए। लिफाफे के ऊपर बोलीदाता / बोलीदाताओं का नाम एवं पता भी अंकित होना चाहिए।
- दूसरा लिफाफा – वित्तीय बोली का लिफाफा: इस लिफाफे में आवेदन पत्र का भाग-II सभी पृष्ठों पर विधिवत भरा हुआ एवं बोलीदाता / बोलीदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इस लिफाफे को बंद करके सील किया जाना चाहिए तथा इसके ऊपर “वित्तीय बोली (अनुलग्नक B के अनुसार) – जुगसलाई, जमशेदपुर शाखा / कार्यालय परिसर लिखा होना चाहिए। लिफाफे के ऊपर बोलीदाता / बोलीदाताओं का नाम एवं पता भी अंकित होना चाहिए।
- तीसरा लिफाफा: पहले एवं दूसरे दोनों लिफाफों को तीसरे लिफाफे के अंदर रखा जाना चाहिए। तीसरे लिफाफे को बंद करके सील किया जाना चाहिए तथा इसके ऊपर “जुगसलाई, जमशेदपुर शाखा / कार्यालय परिसर के लिए मुहरबंद निविदा ” लिखा होना चाहिए। यह लिफाफा निम्नलिखित पते पर संबोधित किया जाना चाहिए: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, बीएसडी विभाग , आर्केड भवन, बूटीमोड़, राँची।

2. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 06/10/2026 को 15:00 बजे (अपराह्न 3:00 बजे) तक है।
3. निविदा जमा करने का स्थान: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची, आर्केड बिल्डिंग, बूटी मोड़, राँची, झारखंड।
4. निविदाएँ क्षेत्रीय कार्यालय, राँची में 07/10/2026 को अथवा बैंक द्वारा उचित प्रक्रिया के दौरान निर्धारित किसी अन्य तिथि को खोली जाएँगी।
5. बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निविदा बैंक को निर्धारित तिथि एवं समय से पहले प्राप्त हो जाए। डाक द्वारा या किसी भी प्रकार की देरी से प्राप्त निविदाओं के लिए किसी भी प्रकार का विचार / छूट नहीं दी जाएगी। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाएँ अस्वीकृत की जा सकती हैं तथा इस संबंध में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार बैंक के विवेकाधिकार में होगा।
6. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए स्वीकार करने, अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह तकनीकी रूप से उपयुक्त पाए जाने वाले किसी भी बोलीदाता को, भले ही उसकी बोली सबसे कम न हो, उपयुक्त एवं उचित समझे जाने पर कार्यदेश प्रदान कर सकता है।
7. केवल बिना किसी शर्त वाली निविदाएँ ही स्वीकार की जाएँगी। किसी भी सशर्त निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है। बोलीदाता द्वारा किसी भी शर्त को लागू करने की इच्छा होने पर, जिसके कारण वित्तीय प्रभाव पड़ता हो, उसे निविदा में उचित रूप से दर्शाया जाना चाहिए तथा निविदा में कोई अन्य शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए।
8. बैंक तकनीकी बोली में उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर तथा बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्तावों की शॉर्टलिस्टिंग करेगा। इसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा: प्रस्तावित स्थल का क्षेत्र / स्थान , प्रस्तावित



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

CENTRAL TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय: रांची

REGIONAL OFFICE: RANCHI

परिसर का क्षेत्रफल, मुख्य सड़क से पहुँच, उपलब्ध पार्किंग स्थान, प्रदान की गई सुविधाएँ एवं अन्य बुनियादी ढाँचे (जैसे लिफ्ट, बैकअप डीजी सेट आदि) तथा तकनीकी बोली में उल्लिखित अन्य आवश्यकताएँ।

सड़क, पार्किंग स्थल, उपलब्ध कराई गई सुविधाएँ एवं अन्य बुनियादी ढाँचे (जैसे लिफ्ट, बैकअप डीजी सेट आदि) तथा तकनीकी बोली में उल्लिखित अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए।

9. तकनीकी बोली के आधार पर प्रस्तावों की शॉर्टलिस्टिंग किए जाने के बाद वित्तीय बोली खोली जाएगी। वित्तीय बोली केवल उन्हीं प्रस्तावों के लिए खोली जाएगी, जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है। वित्तीय बोली भविष्य की किसी तिथि को खोली जाएगी, जिसकी सूचना शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं को बाद में दी जाएगी।
10. संभावित प्रस्ताव के चयन के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
11. किसी भी विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
12. किराया बैंक द्वारा मकान मालिक से परिसर का कब्जा प्राप्त करने की तिथि से किराए का भुगतान प्रारंभ किया जाएगा। परिसर का कब्जा लेने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मकान मालिक द्वारा संबंधित सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा बैंक की सहमति से किए जाने वाले सभी आवश्यक परिवर्तन मकान मालिक द्वारा वास्तव में कराए जा चुके हैं और बैंक उनसे संतुष्ट है। परिसर का संयुक्त माप फर्श क्षेत्रफल के आधार पर किया जाएगा।
13. पट्टा दस्तावेज़ का निष्पादन: बैंक द्वारा परिसर को पट्टे पर लिए जाने के बाद, बैंक के मानक पट्टा प्रारूप के अनुसार पट्टा विलेख तैयार एवं निष्पादित किया जाएगा तथा इसे संबंधित सक्षम प्राधिकारियों के पास पंजीकृत कराया जाएगा। पंजीकरण से संबंधित स्टाम्प शुल्क का वहन मकान मालिक एवं बैंक द्वारा 50:50 के अनुपात में किया जाएगा।

सेन्ट्रल बैंक के लिए,

 21/09/2026

क्षेत्रीय प्रमुख

क्षेत्रीय कार्यालय, रांची